कार्यालय ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर

क्रमांक / ग्वा.वि.प्रा. / आनन्द नगर / सम्पदा / 2020 / 10159 रेरा पंजीयन क्र. / पी—ग्वा.—18—1821 ग्वालियर दिनांक 29.09.2020

प्रारूप—ख (निविदा चतुर्थ आमंत्रण)

ग्वालियर विकास प्राधिकरण की **आनन्द नगर योजना** में निर्मित फ्लेटों का व्ययन, व्ययन नियम 2018 के तहत इकाइयों के लिए बोली आमंत्रित की जाती है।

स.	इकाई का	कुल	ईकाईयों	आरक्षण की स्थिति	प्रत्येक इंकाई का	फ्लेटों / इकाईयों का	रजिस्ट्रीकरण का	वार्षिक पट्टा भाड़ा
क्र.	विवरण / फ्लेट क्रमांक	संख्या	का उपयोग		बिल्टअप एरिया वर्गमीटर में	आरक्षित मूल्य	प्रकार	·
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	301, 401	3	आवासीय	अनारक्षित फ्लेट क्रमांक 301, 401	93.75	2657813 / -	यथानियम	यथानियम
2.	302, 402	3	आवासीय	अनारक्षित फ्लेट क्रमांक 302, 402	98.75	2799563 / -	यथानियम	यथानियम
3.	103, 203, 303, 403	4	आवासीय	(1) अनुसूचित जाति पलेट क्रमांक 203 (2) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों / लोकतंत्र सेनानियों एवं उनके जीवन न होने की दशा में उनकी पत्नि / पित के लिए फ्लेट क्रमांक 103 (3) दिव्यांगों के लिए फ्लेट क्रमांक 303 (4) अनु:जनजाति महिला के लिए फ्लेट क्रमांक 403	108.02	3062367 / —	यथानियम	यथानियम
4.	104, 204, 304, 404	4	आवासीय	(1) अनारक्षित फ्लेट क्रमांक 204, 404 (2) अनु,जनजाति फ्लेट क्रमांक 104 (3) अनु,जाति फ्लेट क्रमांक 304	108.90	3087315 / -	यथानियम	यथानियम
5.	105, 205, 305, 405	4	आवासीय	(1) अनारक्षित फ्लेट क्रमांक 205, 305 (2) प्राधिकरण के कर्मचारियों हेतु फ्लेट क्रमांक 105 (3) पत्रकार, रिपोर्टर के लिए फ्लेट क्रमांक 405	98.75	2799563 / —	यथानियम	यथानियम
6.	106, 206, 306, 406	4	आवासीय	(1) अनारक्षित फ्लेट क्रमांक 306,406 (2) अनु,जाति फ्लेट क्रमांक 106 (3) अनु,जनजाति फ्लेट क्रमांक 206	102.50	2905875 / —		
7.	108, 208, 308, 408	4	आवासीय	(1) अनारक्षित फ्लेट क्रमांक 108, 308, 408 (2) अनुसूचित जनजाति फ्लेट क्रमांक 208	51.25	1452938 / -	यथानियम	यथानियम
8.	109, 209, 309, 409	4	आवासीय	(1) अनारक्षित पलेट क्रमांक 109 (2) अनु.जनजाति प्लेट क्रमांक 209 (3) सेना के अधिकारी भूतपूर्व सेना अधिकारी फ्लेट क्रमांक 309 (4) पिछड़ा वर्ग फ्लेट क्रमांक 409	106.25	3012188 / —	यथानियम	यथानियम
9.	110, 210, 310, 410	4	आवासीय	अनारक्षित क्रमांक 110, 210, 310, 410	93.75	2657813/-	यथानियम	यथानियम
10.	211, 311, 411	4	आवासीय	(1) पिछड़ा वर्ग महिला हेतु फ्लेट क्रमांक 211 (2) अनु.जाति महिला हेतु फ्लेट क्रमांक 311 (3) अनुसूचित जनजाति हेतु फ्लेट क्रमांक 411	110.75	3139763 / —	यथानियम	यथानियम

इच्छुक व्यक्ति निर्धारित बोली प्रपत्र एक्सिस बैंक, एस.डी.एम. रोड, जी.वाय.एम.एस. रोड, अचलेश्वर मन्दिर के पास, लश्कर ग्वालियर से **दिनांक 18.11.2020 से दिनांक 18.12.2020** सायं 3.00 बजे तक रूपये 1000/— + 180/— जी.एस.टी. बैंक ड्राफ्ट/नगद राशि जमा कर प्राप्त कर सकते है। बोली प्रपत्र को प्राधिकरण की बेवसाइड www.gdagwalior.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है जिसमें बोली प्रस्तुतकर्ताओं को अपनी बोली के साथ बोली दस्तावेज शुल्क भी जमा करना होगा। बोली प्रस्तुतकर्ताओं को **10 प्रतिशत घरोहर राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर**

विकास प्राधिकरण के नाम से डी.डी. / बैंकर्स चैक द्वारा अपनी बोली के साथ सील बंद लिफाफे में सम्पदा अधिकारी के कक्ष में रखे बॉक्स में कार्यालयीन समय में डाली जा सकती है। बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 18.12.2020 निर्धारित की गई है। निविदायें दिनांक 24.12.2020 को समय 12.00 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय में कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर सकते हैं।

नोट:— बोली प्रस्तुतकर्ता के ऊपर म.प्र. शासन / प्राधिकरण के नियम तथा व्ययन नियम 2018 के साथ-साथ भविष्य में लागू नियम प्रभावशील होंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर विकास प्राधिकरण ग्वालियर

दिनाक : 29.09.2020

क्रमांक / ग्वा.वि.प्रा. / भूखण्ड / 2020 / 10159

प्रतिलिपि :-

- 1. निज सचिव मान. अध्यक्ष महोदय, ग्वालियर विकास प्राधिकरण ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
- 2. निज सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
- 3. लेखा अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
- 4. जनसंपर्क अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण ग्वालियर की ओर व्ययन नियम—2018 अनुसार निविदा प्रकाशन एवं उपरोक्त विज्ञापन प्राधिकरण की बेवसाईट पर समस्त अभिलेख के साथ अपलोड होने पर प्रमाणित कर पेपर प्रकाशन हेतु।
- 5. साईट इंचार्ज **आनन्द नगर** योजना की ओर सूचनार्थ।
- 6. कार्यालय किमश्नर ग्वालियर/कार्यालय कलेक्टर ग्वालियर/कार्यालय किमश्नर नगर निगम/तहसीलदार,तहसील कार्यालय ग्वालियर की ओर भेजकर निवेदन है कि निविदा को नोटिस बार्ड पर चस्पा कराने की कृपा करें।
- कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- ८. प्रबंधक, एक्सिस बैंक, एस.डी.एम. रोड, जी.वाय.एम.एस. ग्राउण्ड, अचलेश्वर मन्दिर के पास, लश्कर ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 9. श्री भास्कर राव काले, प्रभारी मानचित्रकार की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जनसंपर्क अधिकारी से संपर्क कर उक्त विज्ञापन प्राधिकरण की बेबसाईट पर अपलोड कराकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर विकास प्राधिकरण ग्वालियर

प्ररूप-ग

(नियम 6 (चार) देखिए)

बोली दस्तावेज (Bid Document)

विज्ञापन क्रमांक 10159 दिनांक 29.09.2020

बोली दस्तावेज में निम्न चार भाग सम्मिलित हैं :-

भाग एक : सम्पत्ति हेतु बोली की प्रस्तुति बावत निर्देश

भाग दो : शपथ पत्र का प्रपत्र

भाग तीन : सम्पत्ति के आवंटन हेतु निबंधन तथा शर्ते

भाग चार : बोली प्ररूप

भाग एक : सम्पित हेतु बोली की प्रस्तुति बावत निर्देश (Instructions for submission of Bid for Property) (दस्तावेज की हस्ताक्षरित प्रति प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर सील बंद लिफाफा 'ए' अर्थात् पात्रता लिफाफे (Eligibility Envelope) में प्रस्तुत किया जाए) विज्ञापन क्रमांक 10159 दिनाक 29.09.2020 के संदर्भ में निर्मित पलैट / ईकाईयों (Unit) के आवंटन हेतु, इच्छुक व्यक्ति अपने प्रस्ताव निर्धारित की गई निम्न प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत कर सकते है।

एक बोली तथा सम्पत्ति के आवंटन बावत पात्रता (Eligibility for Bid and Allotment of Property)

- 1. विज्ञापन में दर्शाई गई प्रत्येक सम्पत्ति की बोली की प्रस्तुति हेतु केवल एक बोली प्ररूप ही लागू होगा।
- 2. यदि बोली प्रस्तुतकर्ता (Bidder) विज्ञापन में दर्शाई गई एक से अधिक सम्पत्तियों हेतु बोली लगाने के इच्छुक हो तो उसे पृथक, बोली प्ररूप क्रय करने होंगे।
- 3. ऐसे इच्छुक बोली प्रस्तुतकर्ता जो बेवसाईट से बोली प्ररूपों को डाउनलोड करते हों, उनके द्वारा ऐसी समस्त सम्पित्तयों जिनके लिए बालियां प्रस्तुत की जा रही है, बोली दस्तावेज शुल्क के लिये सम्पित्तयों के लिये पृथक प्रारूप के साथ पृथक बोलियां प्रस्तुत की जाएगी।
- 4. किसी अवयस्क (Minor) द्वारा प्रस्तुत की गई बोलियों को मान्य नहीं किया जाएगा तथा उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।
- 5. कोई भी व्यक्ति, जिसे किसी प्राधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए आरक्षित कोई सम्पत्ति पूर्व में आवंटित की जा चुकी हो, उसे किसी श्रेणी के लिये आरक्षित किसी अन्य सम्पत्ति हेतु आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

दो बोली दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रक्रिया (Procedure for Submission of Bid Documents)

1. बोली प्रस्तुतकर्ताओं को अपनी बोलियां द्वि—लिफाफा पद्धति (Two Envelope System) के माध्यम से प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। ("लिफाफा ए—पात्रता संबंधी लिफाफा (Envelope A-Eligibility Envelope)" बोली को प्रक्रिया बद्ध करने और पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्रस्तुती के लिये तथा "लिफाफा बी—बोली लिफाफा (Envelope B-Bid Envelope) विहित बोली प्ररूप में बोली की प्रस्तुति हेतु।

- 2. उनके लिए जो प्राधिकरण से बोली प्ररूपों को क्रय करते हैं, उन्हें प्राधिकरण द्वारा तीन अलग—अलग लिफाफे प्रदान किये जाएगें जिन्हें "लिफाफा ए पात्रता संबंधी लिफाफा (Envelope A-Eligibility Envelope)" "लिफाफा बी बोली लिफाफा (Envelope B-Bid Envelope)" तथा तृतीय लिफाफा (आवरण लिफाफा) (Third Envelope Cover Envelope) के रूप में चिन्हित किया जाएगा।
- 3. यदि बोली प्रस्तुतकर्ता ने प्रपत्र को प्राधिकरण की बेवसाइड से डाउनलोड किया हो तो बोली प्रस्तुतकर्ता को तीन पर्याप्त आकार के पृथक लिफाफों की व्यवस्था करनी होगी तािक प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों को सुविधाजनक ढंग से समायोजित किया जा सके, इन्हें सील बंद किया जा सके तथा इन्हें "लिफाफा ए—पात्रता लिफाफा", "लिफाफा बी—बोली लिफाफा" तथा आवरण लिफाफा (Cover Envelope) अंकित करते हुए प्रत्येक लिफाफे पर नाम, विज्ञापन क्रमांक 10159 तथा आनन्द नगर योजना में सम्पत्ति क्रमांक / प्रकार के साथ—साथ "योजना आनन्द नगर के अंतर्गत निर्मित फ्लेट (इकाई) के आवंटन हेतु बोली" दर्शाते हुए इसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण को संबोधित करते हुए प्रेषित किया जाएगा।
- 4. इच्छुक व्यक्तियों को लिफाफा ए तथा लिफाफा बी में निम्न रूप से निर्धारित की गई प्रक्रिया अनुसार जानकारी प्रदान करने और उसे उचित रूप से सील बंद करने की उपेक्षा की जाती है। लिफाफा ए तथा लिफाफा बी का आवंरण लिफाफे में रखकर इसे सील बंद (सील) किया जाएगा।

तीन बोली की वैधता, बोली प्रतिभूति तथा बोली प्रतिभूति का समपहरण (Validity of Bid. Security and For feiture of Bid Security)

- 1. बोलियां, बोली प्राप्ति की निर्धारित तिथि से 90 दिवस तक वैध रहेंगी।
- 3. अन्य बोली प्रस्तुतकर्ता, जिनकी बोलियां स्वीकार न की गई हों, की बोली प्रतिभूति बोली लिफाफा खोलने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर लौटा दी जाएगी।
- 4. ऐसे बोली प्रस्तुतकर्ता जिसका प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, तथा जो या तो प्रस्ताव को वापस लेने का इच्छुक हो अथवा जिसके द्वारा बोली दस्तावेज में भुगतान के निबंधन तथा शर्तो के अनुसार निर्धारित समयाविध के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहा हो अथवा जिसके द्वारा पात्रता से संबंधित तथ्यों / जानकारी के संबंध में या अन्यथा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना पाया गया हो, की बोली प्रतिभूति समपहृत कर ली जाएगी।

चार प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी/अभिलेख (Information/Documents to be Provided) लिफाफा ए—पात्रता लिफाफा (Envelope A-Eligibility Envelope)

- 1. ऐसे प्रकरण में जहां बोली—प्ररूप को प्राधिकरण की बेवसाईट से डाउनलोड किया गया हो, या बोली प्रस्तुतकर्ता को बोली दस्तावेज शुल्क (Bid Document Fee) (गैर वापसी योग्य) हेतु डिमान्ड ड्राफ्ट / पे आर्डर **मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर** विकास प्राधिकरण के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा, अथवा जहां बोली प्ररूप प्राधिकरण कार्यालय से क्रय किया गया हो वहां बोली दस्तावेज क्रय के लिये किये गये नगद भुगतान की मूल रसीद प्ररूप की प्रति
- 2. बोली प्रतिभूति (Bid Security) हेतु रू. (सम्पित्ति के आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत की राशि **का मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर** विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय डिमान्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर)।
- 3. अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेख भी संलग्न किये जाएंगे।

अ. वैयक्तिक / संयुक्त आवेदकों हेतु (For Individual/Joint Applicants)

- (एक) ऐसा व्यक्ति जो आवेदक की ओर से बोली प्रस्तुत कर रहा हो उसे बोली प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किये जाने का शपथ–पत्र जिसमें बाली प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम तथा पता, प्राधिकृत व्यक्ति से उसका संबंध तथा वे कारण, जिनके द्वारा उसे प्राधिकृत किया जाना आवश्यक हो गया हो, (यदि यह लागू हो) स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हो।
- (दो) स्वयं / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा संलग्न प्रपत्र के अनुसार शपथ-पत्र (Affidavit) (भाग-दो)।
- (तीन) सम्पत्ति हेतु बोली के प्रस्तुतिकरण हेतु निर्देशों की हस्ताक्षरित प्रति (भाग-एक) और सम्पत्ति के आवंटन हेतु निबंधन एवं शर्ते (भाग-तीन)
- (चार) अन्य कोई अभिलेख (जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाए)
- ब. किसी विधि के अंतर्गत रिजस्ट्रीकरण कम्पनी / संस्था / इकाई हेतु (For Company/Firm/Entity registered under any Law)
- (एक) इकाई द्वारा बोली हेतु आवेदन प्रस्तुत करने तथा इकाई की ओर से प्राधिकृत व्यक्ति को हस्ताक्षर करने हेतु नामांकित किये जाने संबंधी संकल्प की प्रति।
- (दो) बोली प्रस्तुत करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संलग्न प्रपत्र (भाग-दो) के अनुसार शपथ-पत्र।
- (तीन) इकाई के निगमन (Incorporation) संबंधो प्रमाण (नियमावली संबंधी (ज्ञापन—पत्र)/भागीदारी विलेख (Partnership Deed)/न्यास विलेख (Trust Deed)/सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण अभिलेख आदि) (Documents of Registration of Society, etc.)
- (चार) संपत्ति के लिये बोली की प्रस्तुति हेतु निर्देशों की हस्ताक्षरित प्रति (भाग-एक) तथा संपत्ति के आवंटन हेतु निबंधन तथा शर्ते (भाग-तीन)
- (पांच) अन्य कोई अभिलेख (जैसा कि प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाए)
- 4. वांछित अर्हकारी जानकारी/अभिलेखो, बोली दस्तावेज शुल्क तथा बोली प्रतिभूति के बिना प्रस्तुत बोलियों को अस्वीकार किया जाएगा। तथापि, प्राधिकरण अपने अनन्य विवेकाधिकार के अनुसार भी किसी भी जानकारी के बारे में मांग कर सकेगा, जैसा कि वह अभिलेखों के सत्यापन/उनकी पर्याप्तता के बारे में पुष्टि करने बावत और/या उनके सही होने के बारे में आवश्यक समझे।
- 5. लिफाफा 'ए' में वित्तीय प्रस्ताव (Financial Offer) / बोली से संबंधित कोई जानकारी सम्मिलित नहीं की जाएगी तथा लिफाफा 'ए' मे यदि ऐसी कोई जानकारी प्रस्तुत की, जाती है तो ऐसे प्रस्ताव / बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

लिफाफा 'बी'- बोली लिफाफा (Envelope B-Bid Envelope)

लिफाफा 'बी' में केवल बोली प्रस्तुतकर्ता / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित बोली / प्रारूप में सम्मिलित होगी। (भाग-चार)।

पांच बोली प्रस्तुति की अंतिम तिथि तथा बोली प्रस्तावों को खोलने की प्रक्रिया (Bid Due Date and opening of Bids)

- 1. बोलियों को 1, रिव नगर स्थित प्राधिकरण कार्यालय में सम्पदा अधिकारी (पदनाम) क समक्ष) दिनांक 18.12.2020 सांय 5.00 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
- 2. बोलियों को 1, रिव नगर स्थित स्थित प्राधिकरण कार्यालय ग्वालियर में (कक्ष क्रमांक मिटिगं हाल में निविदा समिति के (समक्ष) दिनांक 24.12.2020 को 12.00 बजे खोली जोवेगी)।
 - ऐसे बोली प्रस्तुतकर्ता, जो बोली खोलने के समय उपस्थित रहने के इच्छुक हों, वे बोलियों को खोलने की प्रक्रिया में भाग ले सकते है।

- 3. बोली खोलने के प्रथम चरण में केवल पात्रता लिफाफे (Eligibllity envelope) को ही खोला जाएगा तथा प्राधिकरण बोली प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों का परीक्षण करेगा।
- 4. ऐसे बोली प्रस्तुतकर्ता जो बोली लिफाफों को खोलने के समय उपस्थित रहने के इच्छुक हो, वे बोली खोलने के समय प्रक्रिया में भाग ले सकते है।

छह उच्चतम बोली प्रस्तुतकर्ता की घोषणा (Declaration of Highest Bidder)

- 1. सम्पत्ति के लिये आरक्षित मूल्य से नीचे प्रस्तुत की गई दरों पर बोलियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 2. सामान्यतः ऐसे उच्चतम बोली प्रस्तुतकर्ता को, जो आरक्षित मूल्य से अधिक की दर प्रस्तुत करता है, बोली लिफाफों को खोलने पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अध्यधीन रहते हुए चयनित बोली प्रस्तुतकर्ता घोषित किया जाएगा।
- 3. प्रस्तुत की गई बोलियों का अंतिम परिणाम बोली लिफाफा खोलने के पन्द्रह दिन के भीतर घोषित किया जाएगा तथा इसे प्राधिकरण के सूचना—पटल के साथ—साथ उसकी बेवसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
- 4. प्राधिकरण के पास किसी भी बोली / समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

सात पते में परिवर्तन तथा बोली प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति का पता लगाना (Change of Address and tracking of Bid)

- 1. बोली प्रस्तुतकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि बोली प्रस्तुतकर्ता से पत्र व्यवहार हेतु उसके पतें में किसी परिवर्तन के बारे में प्राधिकरण को लिखित में संसुचित किया जाएगा।
- 2. प्राधिकरण किसी भी प्रकार के पते में परिवर्तन के फलस्वरूप या किसी प्रकार के डाक संबंधी विलम्ब के कारण किसी कार्यवाही में विलम्ब के लिये किसी रीति में उत्तरदायी नहीं होगा।
- 3. बोली प्रस्तुतकर्ताओं को परामर्श दिया जाता है कि वे प्राधिकरण के सूचना पटल / बेवसाईट पर बोली के संबंध में किसी भी सूचना के बारे में स्वयं को अद्यतन रखें।

भाग-दो : शपथ पत्र हेतु प्रपत्र (Format for affidavit) (सील बंद लिफाफे 'ए' पात्रता लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए)

(शपथ-पत्र को गैर-न्यायिक स्टाम्प (Non-judicial stamps) पर विधिवत नोटरी प्रमाणीकरण पश्चात प्रयोज्य दरों के अनुसार प्रस्तुत किया जाए) शपथ-पत्र (Affidavit)

(प्राधिकरण की सम्पत्तियों के संबंध में अपेक्षणीय)

मैं, अभिसाक्षी शपथ पर निम्नानुसार कथन करता / करती हूं कि :--

5.

	मेरा नाम	:		
	पिता / पति का नाम	:		
	निवासी—	:		
	व्यवसाय	:		
	आयु	:		
	वार्षिक आय	:		
2.	यहकि, मैं,		(नाम)	(बोली प्रस्तुतकर्ता का नाम) की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूं तथा मुझे इकाई के
	संकल्प के अनुसार, अ	ानन्द न	ागर योजना की ओर से बोली प्रस्तुत	करने हेतु प्राधिकृत किया गया है (ऐसे प्रकरण में लागू होगा जहां बोली प्रस्तुतकर्ता कोई
	कम्पनी / फर्म / इकाई है	i)		
3.	यहकि, मैं		नाम	(प्राधिकृत व्यक्ति का नाम) को संलग्न शपथ–पत्र के अनुसार मेरी ओर से बोली प्रस्तुत करने
	हेतु प्राधिकृत कर रहा	हूं, (ऐसे	प्रकरण में लागू होगा जहां बोली प्रस्तुत	कर्ता ने किसी अन्य व्यक्ति की बोली प्रस्तुतकर्ता की ओर से बोली प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत
	किया है)			
4.	यहकि, मुझे मध्यप्रदेश	राज्य में	किसी भी प्राधिकरण की ओर से सम्पत्ति	नयों की आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत कोई सम्पत्ति आवंटित नहीं की गई है (ऐसे प्रकरण में लागृ
	जहां बोली प्रस्तुतकर्ता	आरक्षित	श्रेणी के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर रहा	हो)।

यहकि, बोली के अंतर्गत प्रदान की गई समस्त जानकारी सही है तथा इसमें किन्हीं भी सारभूत तथ्यों को छिपाया नहीं गया है।

- 6. यहकि, मैंने बाली संबंधी निबंधन तथा शर्तो तथा सम्पत्ति के व्ययन के बारे में प्राधिकरण के नियमों को भली भांति समझ लिया है तथा ये निबंधन तथा शर्ते / नियम मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार्य है।
- 7. यहिक, यदि बोली के अंतर्गत मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई किसी जानकारी को गलत / दुर्व्यपदशनकारी पाया जाता है, तो प्राधिकरण को मेरी बोली को अस्वीकार करने तथा प्रितभूति राशि को समपहृत करने का अधिकार होगा तथा तत्पश्चात इस बोली के अंतर्गत आवंटित की गई सम्पित्त से संबंधित पट्टे (लीज) को भी रद्द करने का अधिकार होगा।
- 8. यहकि, यह शपथ–पत्र प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित सम्पत्ति अर्थात् **फ्लेट** के आवंटन हेतु बोली प्रस्तुत करने के लिए मेरे द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिनांक :

अभिसाक्षी (बोली प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

ः सत्यापन ःः

मैं, पिता / पति श्री	सत्यापित करता	हूं/करती हूं कि	मेरे द्वारा प्रस्तुत	त की गई उपरोक	त जानकारी मेरी व्यक्तिगत
जानकारी के अनुसार सत्य है तथा इसमें कोई भी जानकारी न तो असत्य ह और	न ही इसमें कुछ	छिपाया गया है।	यह सत्यापन ३	गज दिनांक	को किया गया।

अभिसाक्षी

(बोली प्रस्तुतकर्ता / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

- 1. जो लागू न हो तथा अनावश्यक हो, उसे शपथ-पत्र में शामिल न करें।
- 2. ऊपर दिये गये प्रपत्र के अलावा किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत किया गया शपथ-पत्र मान्य नहीं होगा।

भाग—तीन: सम्पत्ति के आवंटन हेतु निबंधन तथा शर्ते (Terms and conditions for Allotment of Property)

(दस्तावेज की हस्ताक्षरित प्रति, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर, सील बंद लिफाफा 'ए' अर्थात्, पात्रता लिफाफे) (Eligibility Envelope) में प्रस्तुत की जाए) एक भुगतान की शर्ते (Payment Terms)

- 1. सफल बोली प्रस्तुतकर्ता (Bidder) को बोली की स्वीकृति के बाद मांग—पत्र जारी होने की तिथि को तीस दिन के भीतर कुल उद्धरित (quoted) अधिमूल्य (प्रीमियम) की 10 प्रतिशत राशि (बोली प्रतिभूति राशि के समायोजन उपरांत) जमा करनी होगी।
- 2. सफल बोली प्रस्तुतकर्ता को बोली की स्वीकृति के बाद मांग—पत्र जारी होने की तिथि से तीस दिन के भीतर एक वर्ष की अवधि की अग्रिम पटटा भाड़ा राशि तथा अनुबंध पत्र की एक प्रति, जिसमें आवंटन की निबंधन तथा शर्ते शामिल होगी, प्रयोज्य दरों के अनुसार मूल्य के गैर—न्यायिक स्टाम्प पर (non-judicial stamps) जमा करनी होगी।
- 3. आवेदक द्वारा कुल अधिमूल्य (प्रीमियम) की आवंटन पत्र में उल्लेखित राशि एवं एक वर्ष का अग्रिम पट्टा भाड़ा राशि तथा अनुबंध—पत्र की प्रति प्राधिकरण कार्यालय में जमा करने के बाद ही आवंटन पत्र (Allotment Letter) जारी किया जाएगा।
- 4. जहां सफल बोली प्रस्तुतकर्ता निर्दिष्ट समय—सीमा के भीतर उपरोक्त भुगतान जमा करने में असफल रहता है वहां प्राधिकरण आवंटन को रद्द तथा बोली प्रतिभूति राशि को समपहृत कर सकेगा। जब तक कि प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार लिखित रूप में उक्त समय सीमा में वृद्वि नहीं की गई हो।
- 5. पट्टाधारी (Lessee) अथवा हस्तांतरिती (Transferee) शासन, नगर पालिक अभिकरण अथवा अन्य किसी साविधिक निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों / शुल्कों / अभिकरों / प्रभारों के प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति का आधिपत्य सौंपे जाने संबंधी अधिसूचित की गई तिथि से भुगतान हेतु भी उत्तरदायी होगा। भले ही आधिपत्य ग्रहण किया गया हो अथवा नहीं।
 - निम्न दर्शाई गई कण्डिकाएं 6 से 9 केवल उसी दशा में लागू होगी जब प्राधिकरण राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् ग्राही को सम्पत्ति का आवंटन किस्तों के आधार पर कर रहा हो।
- 6. फ्लेटों की सम्पूर्ण राशि एक वर्ष में छह समान किश्तों में नियमानुसार ब्याज सहित ली जावेगी।
- 7. किसी किस्त के भुगतान में विलम्ब होने पर, को 5% प्रतिशत की दर से (जो 5 प्रतिशत से अधिक न होगा) दाण्डिक ब्याज का भुगतान करना होगा, जो उपरोक्त बिन्दु 6 में निर्धारित किये गये 7 प्रतिशत की ब्याज वसूली दर के अतिरिक्त होगा। यदि किसी किस्त के भुगतान में की गई चूक 6 माह से अधिक की अविध हेतु जारी रहती हो, तो प्राधिकरण आवंटन प्रतिसंहत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तथापि, अदायगी अनुसूची के प्रत्येक उल्लंघन पर प्राधिकरण पर प्राधिकरण निरस्तीकरण के बदले में रूपये 1000/- का अर्थदण्ड (जो रूपये 10000/- से अधिक नहीं होगा।) वसूल किये जा रहे ब्याज तथा दाण्डिक ब्याज भुगतान के अतिरिक्त अधिरोपित कर सकेगा।
- 8. पांच वर्षो की अवधि के बाद भुगतान बकाया कोई राशि लम्बित होने पर चूककर्ता को आवंटन की तारीख से 5 वर्ष की समयावधि पर बकाया शेष राशि पर ब्याज प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की दर से भुगतान करना होगा।
- 9. तथापि यदि समस्त किस्तों का भुगतान, आवंटन तिथि से 7 वर्षों की अधिकतम अविध के भीतर नहीं किया जाता है जिसमें निरस्तीकरण के बदले में देय ब्याज राशि तथा दाण्डिक ब्याज राशि तथा प्रतिसंहरण के बदले उद्गृहित किया गया अर्थदण्ड भी शामिल है तो आवंटन को रद्द कर दिया जाएगा। भुगतान न किये जाने के कारण ऐसे आवंटन रद्द किये जाने पर प्राधिकरण को भुगतान की गई। अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि का 25 प्रतिशत के बराबर (ब्याज राशि को छोड़कर) समपृत करने का अधिकार होगा तथा बकाया मूलधन की राशि लौटा दी जाएगी। प्राधिकरण द्वारा लौटाई गई राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

- 10. यदि सम्पत्ति का क्षेत्रफल विज्ञापन में संपत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से कम पाया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि तथा वार्षिक पट्टा भाडा राशि को आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा।
- 11. यदि किसी विशिष्ट भूमि का पट्टाधारी उसे आवंटित किये गये भूखण्ड से अनुलग्न भूमि (appurtenant land) के आवंटन के लिये आवंदन प्रस्तुत करता है तो प्राधिकरण अपने पूर्ण विवेकाधिकार तथा निर्णय के अधीन ऐसी अतिरिक्त भूमि का आवंटन भूमि की आवंटन तिथि को प्रचलित कलेक्टर गाइडलाईन दर (guide line rats) पर अथवा ऐसी दर पर जिस पर आवंटिती द्वारा पूर्व में धारित भूखण्ड आवंटित किया गया हो, इनमें से जो भी अधिक हो, पर कर सकगा।

दो सम्पत्ति को पट्टे पर प्रदान करने संबंधी शर्ते (Terms for Lease Property)

- 1. सम्पत्ति पट्टा आधार पर (Lease Basis) 30 वर्ष की अविध के लिये प्रदान की जाएगा (जब तक अन्यथा शासकीय सम्पित्तयों की दशा में, ऐसी सम्पित्तयों के लिये जो प्राधिकरण के अंतर्गत वेष्ठित हों या जिनका प्रंबंधन प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा हो तथा जो विशिष्ट रूप से सामान्य/विशेष स्वीकृति के अनुसार अथवा प्राधिकरण की किसी सम्पित्ति के बारे में राज्य सरकार के निर्देशानुसार नियंत्रित की जा रही हो) जिनकी कालाविधयों का विस्तार 30 वर्ष की दो अतिरिक्त अविधयों के लिए किया जा सकेगा, जिसके अनुसार प्राधिकरण को वार्षिक पट्टा भाड़ा प्रत्येक नवीकरण के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत वार्षिक पट्टा भाड़ा के अधिकतम 50 प्रतिशत तक वृद्धि करने का अधिकार होगा।
- 2. सम्पत्ति के संबंध में वार्षिक पट्टा भाड़ा रूपये(इसे बोली प्रक्रिया के उपरांत भरा जाए, यह राशि शासन की देय पट्टा भाड़ा + (जमा) प्राधिकरण को आवंटित शासकीय भूमि पर पट्टे पर दी गई सम्पत्तियों पर दस प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के रूप में अथवा भूमिस्वामी अधिकारों के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा धारित भूमि पर पट्टे पर प्रदान की गई सम्पत्तियों हेतु प्रभारित अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि का 0.1 प्रतिशत होगी) प्रभारित किया जाएगा।
- 3. सम्पत्ति के लिए निर्धारित वार्षिक पट्टा भाड़े का भुगतान प्रति वर्ष अग्रिम रूप से देय होगा तथा प्रति वर्ष 31 मार्च को या इससे पूर्व किया जाएगा। प्रथम वार्षिक पट्टा भाड़ा उस वित्तीय वर्ष के जिसके अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा आधिपत्य सौंपे जाने की तिथि अधिसूचित की गई हो, एक जून से देय होगा।
- 4. जहां पट्टाधारी द्वारा देय वार्षिक पट्टा भाड़ा राशि का भुगतान निर्धारित तिथि से तीन माह से अधिक अवधि हेतु लम्बित रहता है वहां प्राधिकरण द्वारा वार्षिक पट्टा भाड़ा राशि की वसूली की प्रक्रिया भू—राजस्व की बकाया रूप में प्रारंभ की जा सकेगी।
- 5. सम्पत्ति का आधिपत्य जैसा है जहाँ है के आधार पर हस्तांतरित किया जाएगा (जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो) ।
- 6. सम्पत्ति का आधिपत्य, अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि तथा प्रथम वर्ष की अग्रिम वार्षिक पट्टा भाड़ा राशि का पूर्ण भुगतान के बाद ही सौंपा जाएगा (जब तक इस बारे में नियम 13 के अंतर्गत राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन द्वारा संपत्ति के आवंटन के विशेष पद्धतियों में यह प्रावधान न कर दिया गया हो, जिसका प्राधिकरण द्वारा अधिम्लय (प्रीमियम) राशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया हो)।
- 7. अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि तथा प्रथम वर्ष हेतु अग्रिम पट्टा भाड़ा की संपूर्ण राशि जमा किये जाने के पश्चात ही प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी (Estate Officer) द्वारा सम्पित्त के वास्तविक आधिपत्य प्रदान करने के प्रयोजन हेतु तारीख तथा समय की अधिसूचना जारी की जाएगी तथा सम्पित्त का पट्टा उक्त अधिसूचित तारीख से प्रारंभ हो जाएगा, भले ही ग्राही द्वारा सम्पित्त का भौतिक रूप से अधिग्रहण किया गया हो अथवा नहीं।
- 8. अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि तथा प्रथम वर्ष हेतु अग्रिम पट्टा भाडा की संपूर्ण राशि जमा किये जाने के पश्चात प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा जारी किये गये प्रोफार्मा के अनुसार आवंटिती द्वारा पट्टा विलेख (Lease Deed) / दस्तावेज तैयार किया जायेगा तथा इन्हें प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी के समक्ष उसके हस्ताक्षर हेत प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षर की तिथि से तीन माह के भीतर पट्टाधारी (Lessee) को अनिवार्यतः पंजीयक (Registrar) के कार्यालय से पट्टे का पंजीकरण कराना होगा। पट्टाधारी पट्टा अभिलेख के पंजीकरण के संबंद्ध समस्त व्ययों का वहन करने हेतु उत्तरदायी होगा। पट्टाधरी को पट्टे के पंजीकरण से तीस दिवस के भीतर पट्टा विलेख की प्रमाणित प्रति भी प्राधिकरण के कार्यालय में जमा करनी होगी।

- 9. पट्राधारक, पट्टे की शर्तों के अध्यधीन, किसी अन्य व्यक्ति को सम्पत्ति का अंतरण प्राधिकरण से अनापित्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के पश्चात् कर सकेगा और उसे प्राधिकरण द्वारा अवधारित अंतरण शुल्क (Transfer Fees) की राशि जमा करना होगी, जो अंतरण हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन तिथि को प्रचलित प्रयोज्य कलेक्टर गाइडलाईन दर (Applicable Guideline Rate) के 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। जहां हस्तानांतरण उत्तराधिकार के नैसर्गिक न्यागमन (Natural Devolution Of Heirship) के दौरान चाहा गया हो, वहां कोई अंतरण शुल्क देय न होगा।
- 10. पट्टाधारी, पट्टा विलेख के पंजीयन के उपरांत प्राधिकरण से अनुमित प्राप्त कर फ्लेट पर वित्तीय ऋण प्राप्ति हेतु फ्लट को बंधक (mortgage) रख सकेगा।
- 11. पट्टाधरी जो सम्पत्तित के पुनर्मापन (re-measurement) का इच्छुक हो, को प्राधिकरण कार्यालय में इस हेतु अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।
- 12. ऐसे प्रकरण में जहा पट्टाधारी विलेख की किसी शर्त का उल्लघंन करता हो, वहां प्राधिकरण सम्पत्ति के पट्टे को रद्द कर सकेगा। पट्टे के निरस्तीकरण पर प्राधिकरण को सम्पत्ति में पुनप्रवेश का अधिकार सुरक्षित होगा।

तीन आवंटित सम्पत्तियों के संबंध में विकास तथा भवन निर्माण विनियम (Development and Building Regulations for Allotted Properties)

- 1. आवंटित की गई सम्पत्ति के बारे में नामोदिष्ट उपयोग में किसी परिवर्तन को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।
- 2. पट्टाधारी को नगर निवेश विभाग से नियोजन अनुमित (Planing Permission) (जहां नियोजन अनुमित प्राप्त किया जाना आवश्यक हो) तथा **ग्वालियर** नगर पालिक निगम की परिषद द्वारा प्रदान की गई भवन नक्शे की स्वीकृति अथवा उस प्राधिकारी की जो भवन नक्शे की स्वीकृति हेतु सक्षम हो, स्वीकृति प्राप्त किये बगैर भवन निर्माण प्रारंभ करने की अनुमित प्रदान नहीं की जाएगी। भूखण्ड पर किया गया कोई भी निर्माण कार्य जो स्वीकृत नक्शे के विपरीत हो, को अनाधिकृत माना जाएगा तथा ऐसे कृत्य को पट्टे की शर्तों का उल्लंघन माना जाकर तदन्सार कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।
- 3. यदि किसी प्रकरण में सम्पत्ति का उपयोग उसे नामोदिष्ट उपयोग से पृथक होना पाया जाता है और/या कोई निर्माण गतिविधि स्वीकृत नक्शों का उल्लघंन कर अथवा स्वीकृत नक्शों के बगैर ही संपन्न की जाती है तो प्राधिकरण को आवंटन/पट्टा रद्द करने का अधिकार होगा। ऐसी परिस्थितियों में पट्टाधारी को किसी साविधिक अथवा किसी शासकीय अभिकरण द्वारा उस पर अधिरोपित किसी अर्थदण्ड का भूगतान भी करना होगा।
- 4. पट्टाधारी के सेवा संयोजनों से संबधित आवश्यक अनुमितयों को प्राप्त करने तथा संबंधित शुल्कों / प्रभारों के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा, जो नगर पालिक निगम / नगर पालिका परिषद अथवा सेवा प्रदाय हेतु अन्य किसी संस्था के नियमों तथा विनियमा के अनुसार जलप्रदाय संयोजन, मलजल निकासी संयोजन तक ही सीमित न होगा। ऐसे प्रकरण में, जहां आवंटित सम्पित्ति ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां मलजल निकासी सेवा उपलब्ध नहीं है, वहां पट्टाधारी नगर पालिक निगम / नगर पालिका परिषद के नियमों तथा विनियमों के अनुसार मलजल की सुरक्षित निकासी के लिये आवश्यक व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगा।
- 5. पट्टाधारी विद्युत संयोजन की प्राप्ति तथा इससे संबंधित समस्त प्रभारों के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा।

चार आवंटन का अन्तरण (Transfer of Allotment)

सम्पत्ति के आंवटन का अन्तरण सम्पत्ति की आवंटन की तारीख से छह माह की अविध के समाप्त होने के उपरांत ही किया जा सकता है। आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आवंटित की गई सम्पित्तियों के बारे में, अंतरण, केवल ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को अनुन्नेय किया जाएगा, जो आरक्षण की उसी श्रेणी के अंतर्गत पात्रता रखता हो जिस हतु उक्त सम्पित्ति को पूर्व में आरिक्षत थी अन्तरण शुल्क का भुगतान अिधमूल्य (प्रीमियम) अथवा अन्तरण तारीख को प्रचलित प्रयोज्य कलेक्टर गाइड लाइन दर (applicable guideline rate) इनमें से जो भी अधिक हो, की एक प्रतिशत की दर से भुगतान योग्य होगा।

पांच अन्य निबंधन तथा शर्ते (Other Terms and Conditions)

- 1. यदि बोली के निबंधनों तथा शर्तो में तथा "मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों का प्रबंधन तथा व्ययन नियम 2018" के अथवा राज्य सरकार के अन्य किन्हीं नियमों / सांविधिक उपबन्धों में कोई विसंगति उद्भूत होती है तो पश्चातवर्ती उपबंध अभिभावी होगे तथा पट्टेदार पर बंधनकारी होंगे।
- 2. यदि योजना के अंतर्गत कोई विशेष निबंधन तथा शर्तो का प्रावधान किया गया हो, जैसा कि तत्संबंधी विज्ञापन में दर्शाया गया हो, बोली प्रस्तुतकर्ता / सम्पत्ति के प्राप्तिकर्ता के लिय बंधनकारी होंगी।
- 3. आवंटन / पट्टे के निबंधन तथा शर्तो का उल्लघंन किये जाने पर यदि इस प्रकार कोई विवाद उत्पन्न हो तो विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा।
- 4. जहां कहीं शब्द "प्राधिकरण (Authority)" उपयोग किया गया हो वहां इसके प्रतिनिधिगण, नामनिर्देशिती, उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञापित समनुदेशिती Permitted assignees भी शामिल होंगे तथा इसी प्रकार जहां शब्द "पट्टाधारी (Lessee)" उपयोग किया गया हो, वहां इसमें उसके उत्तराधिकारी का नाम भी सिम्मिलित होना माना जाएगा।

छह विशेष शर्ते (Special Conditions)

1. विशेष शर्ते, यदि कोई हों, को भी जोड़े, जो बोली प्रक्रिया दस्तावेज में सम्मिलित सम्पत्ति के आवंटन हेतु प्रयोज्य हो।

विज्ञापन के अंतर्गत प्रदान की गई जानकारी अथवा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये कोई संशोधन तथा भाग—एक, भाग—दो, भाग—तीन बोली दस्तावेज के अभिन्न भाग है। बोली प्रस्तुतकर्ताओं को भाग—एक, भाग—दो, भाग—तीन के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें लिफाफा "ए पात्रता दस्तावेज" में प्रस्तुत करना होगा। बोली प्रस्तुतकर्ता यह भी स्वीकार करते है कि प्राधिकरण द्वारा बैवसाईट में अधिस्चना के माध्यम से, या किसी अन्य प्रकार से भी बोली दस्तावेज में जारी किये ये कोई संशोधन बोली प्रस्तुतकर्ता की जानकारी में है। यदि बोली प्रस्तुतकर्ता ऐसे किसी संशोधन के बारे में अवगत न हो तो प्राधिकरण इस कारण से बोली प्रस्तुतकर्ता को हुई किसी हानि के लिये उत्तरदायी न होगा।

दिनांक :	
	बोली प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर
	नाम

	भाग चार : बोली प्ररूप (Bid Form) पलेट हेतु बोली प्ररूप (इसे सील बंद लिफाफा 'बी' में प्रस्तुत किया जाए)						
	पन क्रमांक 10159 प्ररूप क्रमांक		दिनांक 29.09. मूल्य रूपये 1000 / — एवं जी.एस.टी. शुल्क रू. 1 अहस्तान्तरणीय (Not Transferab	80/-			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर विकास प्राधिकरण ग्वालियर (मध्य प्रदेश)	आवेदक का पासपोर्ट आकार का छाया चित्र यहां चिपकाया जाए	बोली प्रस्तुतकर्ता का ना	म			
प्ररूपं हूं / च लिया होक वांछि	य, आपके विज्ञापन क्रमांक दिनांकके (योजना के नाम से) अधिसूचित किया गया है, मैं/हम मेरी/हम ंसभी निबंधनों तथा शर्तों से आबद्ध होने की सहमति व्यक्त करत ग्राहते है। मैं/हम पूर्णतया विधिवत स्वीकार करता हूं/करते है कि गया है तथा उनका पालन करने हेतु अपनी/हमारी सहमति व्यव्ह, उसे सम्मिलित करते हुए होंगे। मैं/हम यहां पर इस बोली के सत जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहा हूं/रहे हैं :-	ारी बोली पट्टे (लीज ा हूँ / करते है। इस बो ज मेरे / हमारे द्वारा बोर्ल म्त करता हूं / करते है,)/भूमि स्वामी अधिकारों के आधार पर तथा मैं/हम प्राण्टि ली परूप के एकीकृत भाग के रूप में फ्लेट इकाई के अ ो दस्तावेज के समस्त निबंधनों तथा शर्तो को पढ़ लिया जो प्राधिकरण की बोली–प्रक्रिया तथा फ्लेट के आवंटन	धेकरण द्वारा जारी बोर्ल ावंटन हेतु प्रस्तुत चाहत गया है, स्पष्टतया समझ की शर्तो तक सीमित न			
	बोली प्रस्तुतकर्ता का नाम (यदि बोली कम्पनी / फर्म / किसी अन्य प्रस्तुत की जा रही है तो इसका नाम लिखे) बोली प्रस्तुतकर्ता संस्था / कम्पनी के निदेशक / निर्देशकों / का ना		1				
02	बाला प्रस्तुतकता संस्था/ कम्पना क ।नदशक/ ।नदशका/ का ना किसी अन्य इकाई के प्रकरण में)	न (परम्पना/ सस्था/					

.....

बोली प्रस्तुतकर्ता के पिता / पति का नाम	
पन व्यवस्य का पूर्ण पना स्थापष्ठ / प्रोतार्टन हे जोन पना	
पत्र व्यवहार का पूरा पता दूरमाप/ माबाइल इ—मल पता	(कार्यालय)(निवास)
	बोली प्रस्तुतकर्ता के पिता / पित का नाम पत्र व्यवहार का पूर्ण पता दूरभाष / मोबाईल ई—मेल पता

हमन यह बाला प्ररूप प्राधिकरण क कायालय स क माध्यम स प्राप्त
किया गया है (नगद भुगतान की मूल रसीद लिफाफा 'ए' में प्रस्तुत की गई है)। हमारे द्वारा यह बोली प्ररूप प्राधिकरण की बेवसाइट से डाउनलोड किया गया है तथा बोर्ल
प्ररूप के मूल्य स्वरूप मेरे / हमारे द्वारा बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक क्रमांकदिनांक राशि रूपये (शब्दों और अंको में दर्शायें) लिफाफा 'ए' में प्रस्तुत
कर दिया गया है।
मैं / हम इसबोली को स्पष्ट समझ के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं / रहे है कि मेरी / हमारी बोली इसके प्रस्तुत करने की तारीख से 90 दिन तक की अवधि तक विधिमान्य रहेगी।
मैं / हम अपनी बोली के सबंध में बोली प्रतिभूति राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक क्रदिनांक रूपये(शब्दों और अंको में दशाएं
प्राधिकरण के पक्ष में प्रस्तुत कर रहे है तथा इसे लिफाफा 'ए' में प्रस्तुत किया गया है। मुझे / हमें यह भी संज्ञान है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत की जा रही बोली अप्रतिसंहरणीय
(Irrevocable) है तथा यदि मैं / हम इसे प्रतिसंहत करता हूं / करते हैं तो इस बोली के साथ जमा की गई बोली प्रतिभूति राशि रूपये(शब्दों और अंको में
दर्शाए) समपहृत कर ली जाएगी।

मैं/हम यहां यह भी स्वीकार करता हूं/करते है कि लिफाफा 'ए' में प्रदत्त समस्त जानकारी सत्य तथा सही है तथा प्रदत्त की गई जानकारी के बारे में म/हम पूर्ण दायित्व लेता हूं/लेते है। मैं/हम यह सहमति भी प्रदान करता हूं/करते है कि प्राधिकरण को ऐसी अतिरिक्त जानकारी, जैसी कि आवश्यक हो अथवा बोली को पूरक किये जाने के संबंध में अथवा इसे सत्यापन किये जाने बावत चाही जाए, मेरे/हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूं/करते है कि मैं/हम इस बोली की अर्हताओं के अनुसार इस बोली के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की योग्यता धारित करता हूं/करते है। मुझे/हमें यह भी अवगत है कि मरे/हमारे द्वारा बोली में प्रस्तुत की गई जानकारी गलत/तथ्यों का गलत ढंग से प्रस्तुतिकरण (misrepresentation of facts) पाया जाता है अथवा यदि मैं/हम भुगतान की शर्तो के अनुसार राशि जमा करने में असफल रहते है तो प्राधिकरण को हमारे द्वारा प्रस्तुत बोली को निरस्त करने का तथा बोली प्रतिभूति राशि को समहत करने का अधिकार होगा।

मैं / हम यह भी स्वीकार करता हूं / करते है कि प्राधिकरण इस बोली को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा न ही वह किसी बोली को स्वीकार करते के लिए बाध्य है तथा न ही बोली प्रस्तुतकर्ताओं को बोली प्रस्तुत करने के लिये आमंत्रित किये जाने हेतु बाध्य है तथा यह भी कि वह बिना कोई कारण दर्शाये अथवा अन्यथा हमारी बोली को रद्द कर सकता है तथा एतद्द्वारा किसी भीकारण से भले वह जो भी हो, से इसे चुनोती प्रदान करने संबंधी हमारे अधिकार के अधित्यंजन (waive) का अधिकार रखता है।

मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूं/करते है कि देश की सुरक्षा तथा अखण्डता से भिन्न ऐसे मामलों में जो मुझे/हमें न तो किसी न्यायालय द्वारा दाषी ठहराया गया है तथा न ही किसी नियामक प्राधिकरण ने मुझे/हमें आरोपी ठहराया है तथा न ही मेरे/हमारे विरूद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित किये है जो इस बोली के लिये आवदेन किये जाने बावत मेरी/हमारी योग्यता के बारे में किसी प्रकार का संदेह प्रकट कर सके या किसी गंभीर अपराध से संबद्ध हो जो समाज की नैतिक भावना का उल्लघंन करता हो। मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूं/करते है कि देश की सुरक्षा तथा अखण्डता से संबंधित मामलों में सरकार के किसी अभिकरण द्वारा मुझे/हमें न तो कोई आरोप पत्र जारी किया है तथा न ही किसी न्यायालय द्वारा मेरे/हमारे द्वारा किये गये किसी अपराध के संबंध में मुझे/हमें दोषी ठहराया गया है।

मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूं/करत है कि मैं/हम आवंटित भूखण्ड/इकाई का उपयोग पट्टा विलेख (Lease Deed) के निबंधनों तथा शर्तो एवं राज्य के और/या परिनियम के अंतर्गत गठित किसी अन्य अभिकरण की प्रयोज्य विधियों तथा विनियमों का कड़ाई से पालन करूंगा/करेंगे। मैं/हम ऐसे पट्टा विलेख के समस्त निबंधनों तथा शर्तो से सहमित भी व्यक्त करता/करते है जिसका निष्पादन भूखण्ड/इकाई का आवंटन होने पर किया जाएगा जिसमें सम्मिलित है जिस तक सीमित नहीं है वार्षिक पट्टा भाड़ा (पट्टे पर दी गई सम्पित्तियों हेतु) का भुगतान प्राधिकरण के पट्टे को रद्द करने संबंधी अधिकार प्रयोज्य विकास नियंत्रण विनियम, भवन निर्माण उपविधियों (Building bye-laws), भवन निर्माण विनियमों का अनुसरण शुल्क दरों तथा करों के भुगतान के दायित्व जैसा कि अंतर्गत प्रयोज्य किसी विधि के अंतर्गत सम्पित्ति को लागू हो। मैं/हम सम्पित्ति के बार में मेरी/हमारी बिना शर्त तथ अनर्हित (unconditional and unqualified) अपनी बोली निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूं/करते है।

ईकाई का प्रकार	फ्लेट कमांक	निर्धारित बोली कीमत प्रति फ्लेट	बोली दाता द्वारा प्रस्तुत कीमत कीमत
, ,		(अंकों में)	(अंको / शब्दों में)
3BHK Flat			

मैं / हम यह भी समझता हूं / समझते है कि सम्पत्ति का क्षेत्रफल सम्पत्ति के घोषित क्षेत्रफल से कम पाये जाने की दशा में बोली की कुल राशि का समायोजन तद्नुसार आनुपालिक दर के अनुसार किया जाएगा।

मैं / हम यह भी समझता हूं / समझते है कि बोली प्रपत्र में नाम और / सम्पत्ति संख्या में उपरिलेखन (overwriting) या त्रुटि या परिवर्तन होने पर बोली प्रस्ताव को अविधिमान्य बना देगा।

उपरोक्त	साक्ष्य मे	ों, भें	/ हम	बोली	प्रपत्र	की	शर्तो	के	अधीन	एवं	के	अनुसार	सम्पत्ति	के	आवंटन	के	संबंध र	में या	ह बोली	प्रस्तृत	करता	ਵਂ ∕	′ करते	है।
		.,	, - :							, .									-			~~		

दिनांक :	
स्थान :	

भवदीय

बोली प्रस्तुतकर्ता / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर बोली प्रस्तुतकर्ता / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर यदि बोली कम्पनी / संस्था / किसी अन्य संविधान : के अंतर्गत पंजीकृत इकाई द्वारा प्रस्तुत की जा रही हो उसकी मुद्रा (सील) लगाई जाए

मैं / हम बोली राशि का अवशेष 75 प्रतिशत भुगतान से संबंधित निबंधन तथा शर्तो तथा मेरे / हमारे द्वारा भुगतान की अदायगी में विलम्ब / चूक किये जाने पर प्रयोज्य ब्याज दरों तथा लागू अर्थदण्ड का भुगतान किये जाने की सहमति भी व्यक्त करता हूं / करते है।

मैं / हम यह भी समझता हूं / समझते है कि संपत्ति क्रमांक तथा बोली दरों का रू. प्रति वर्ग मीटर में अंकों तथा शब्दों में उल्लेख किया जाना बोली को स्वीकार किये जाने हेतु अनिवार्य है।